आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

16/02/24

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 195/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता श्री साधु राय, पिता–गंगा राय, ग्राम–अहमदपुर थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
07	55	01 कट्ठा	उत्तर–किशुन राम दक्षिण–देनी राम पूरब–वेनी राम पश्चिम–नीज

मौजा–अहमदपुर, थाना–करपी, थाना संख्या–91, अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता के तरफ से न्यायालय में कोई उपस्थित नही हुआ और ना ही किसी के द्वारा आपति दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, करपी ने उल्लेखित किया है कि यह दान पत्र कार्यालय अंचल करपी से संबंधित नही है। यह दान पत्र अरवल अंचल कार्यालय से संबंधित है। अंचल अधिकारी, अरवल से प्रस्तावित भूमि का जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कब्जाधारी को नोटिस निर्गत किया गया। कब्जाधारी न्यायालय में उपस्थित हुए और आवेदन दाखिल किया गया।

कब्जाधारी ने अपने आवेदन में उल्लेखित किया है कि प्रस्तावित भूमि मेरे दादा द्वारा 1989 में श्री श्याम नारायण जौहरी, पिता–स्व० गोधनी साव से खरीदगी किया है। हमारे जानकारी में नही है कि यह जमीन दान पत्र के माध्यम से दान में दिया गया है।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल तथा कब्जाधारी द्वारा दाखिल पोषित कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर भूदाता का अंगुठा का निशान अंकित है। वरतलाल गवाह का नाम अंकित है। अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि राम दहिन कोईरी, पिता–लोचन कोईरी, साकिन–बनीया विगहा के नाम से 20 डी० भूमि का खतियान दर्ज है। भूदाता का खतियानी रैयत से कोई संबंध स्थापित नही हो पा रहा है। श्रीमती

अखजी कुंवर, पिता–गोदानी साव के नाम से 132/6 पर जमाबंदी दर्ज है। भूदाता से कोई संबंध नही है। सूर्यनाथ सिंह वो सत्येन्द्र सिंह, पिता–हरिचरण सिंह वो भेखा वर्तमान में प्रस्तावित भूमि पर दखल कब्जा में है। भूमि कृषि योग्य है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार का पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में उल्लेखित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, मौजा, रकवा अंकित है से संबंधित मामलों में सम्पुष्टि की कार्यवाई की जायेगी।

अतः अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 के आलोक में बिहार भूदाना अधिनियम 1954 की धारा 11 (5) के तहत प्रस्तावित भूमि की असंपुष्ट की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखाप्रित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।